जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित जिला/खण्ड स्तरीय सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के प्रशिक्षण आयोजित करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशन बाबत्।

- जन्म–मृत्यु की घटनाओं के शत–प्रतिशत पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि रजिस्ट्रेशन कार्य में संलग्न विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/राज्य नियमों, नवीनतम प्रावधानों एवं विवाह पंजीकरण की नियमित रूप से जानकारी प्राप्त हो। इसी क्रम में आपके जिले में जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाने है।
- जिला एवं खण्ड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण में समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपरजिस्ट्रार, प्रसाविका, समस्त सचिव एवं रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार, एलएसपी भाग लेगें। विषय विशेषज्ञ के रूप में जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप निदेशक/सहायक निदेशक, सांख्यिकी विभाग के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान एक तकनीकी सत्र अवश्य रखा जावें, जिसमें 'पहचान' पोर्टल पर आनॅलाईन रजिस्ट्रेशन, पुराने रिकार्ड का डिजिटाईजेशन, ई–मित्र के माध्यम से जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु आवेदन आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जावे।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण निम्नलिखित मानदण्डानुसार आयोजित किये जावे–

क्र.सं.	मानदण्ड
1.	प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या–80
2.	वर्किंग लंच एवं 2 चाय 120/– प्रति प्रतिभागी
3.	प्रशिक्षण सामग्री 100/– प्रति प्रतिभागी
4.	विषय विशेषज्ञ का मानदेय 500/– प्रति प्रशिक्षण
5.	हॉल किराया, माईक/ध्वनि यंत्र 5000/– प्रति प्रशिक्षण

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त मापदण्डानुसार चाय–लंच, प्रशिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं खण्ड स्तर पर विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा की जायेगी।
- जिला एवं खण्ड स्तर के प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि का पुर्नभरण सम्बन्धित उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल बिल/वाउचर्स एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।
- बिलों का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में करके दो प्रतियों में प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिवस में निदेशालय को भिजवाया जावे, ताकि भुगतान योग्य राशि का पुर्नभरण करने की कार्यवाही की जा सके।
- प्रशिक्षण आयोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर तथा प्रशिक्षण के फोटोग्राफ आवश्यक रूप से भिजवाया जावें। जिनको पहचान वेबपोर्टल पर अपलोड किया जा सकें।

उप निदेशक (जीवनांक)